क्रमांकः— 62/24/2016—6जी0एस01

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, गुडगांव तथा रोहतक मण्डल।
2. सभी उपायुक्त तथा उप—मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला सत्र व न्यायाधीश।
4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड/निगम/समितियां।
5. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

दिनांकः चंढीगढ 8 जून, 2016

विषय **सभी सरकारी विभागों में जनता से संबंधित और विभागीय प्रयोग के फार्मों का हिन्दी में होना अनिवार्य करने बारे।**

महोदय,

आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की नियमावली 1976 के नियम 11 के अनुसार देश भर में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंको, अधिकरणों आयोगों के सभी फार्म हिन्दी में होने अनिवार्य हैं। हिन्दी के अक्षर अंग्रेज़ी से छोटे नहीं होने चाहिए। हिन्दी के अक्षर अंग्रेज़ी से पहले अथवा ऊपर होने चाहिएं।

2. आपको विदित है कि हरियाणा की राजभाषा हिन्दी है और सरकार के पत्र क्रमांक 12/45/93—6जी0एस01, दिनाकं 25.05.1993 तथा 62/37/1998—6जी0एस01, दिनांक 06.10.1999 द्वारा कार्यालयों को हिन्दी में कार्य करने के निर्देश पहले भी जारी किए गए हैं। किन्तु सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों, आयोगों, शिक्षण संस्थानों से संबंधित फार्म केवल अंग्रेज़ी भाषा में हैं, जिसके कारण आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया है कि सभी विभाग, आयोग समितियां, शिक्षण संस्थान अपने विभाग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेज़ी दोनो भाषाओं में सपष्ट अनुवाद करवाएं एवं अपनी विभागीय **website** पर रखना सुनिश्चित करें।

3. इन हिदायतों की अवहेलना करने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों की कड़ाई से पालना करवाएं।

प्रमोद कुमार

अधीक्षक, सामान्य सेवायें—1 शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

प्रमोद कुमार

अधीक्षक, सामान्य सेवायें—1 शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव।

क्रमांकः— 62/24/2016—6जी0एस01 दिनांकः चंढीगढ 8 जून, 2016